



मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसूनवाई की गई,

फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 05.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसूनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।


पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।













जनपदीय एसओजी तथा थाना श्रीनगर व थाना अजनर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा की गई त्वरित और साहसिक कार्यवाही में <mark>पुलिस मुठभेड़</mark> में आपराधिक प्रवृत्ति के 05 शांतिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 02 शांतिर अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं, अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचा, 05 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस अवैध सहित घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल तथा चोरी किये गये आभूषण, चोरी के 25 हजार रुपये नगद की बरामदगी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक मामले जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैगेस्टर, गुण्डा व आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज हैं।

अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 05.04.2025 को गठित की गयी जनपदीय एसओजी तथा थाना श्रीनगर व थाना अजनर की संयुक्त पुलिस टीम ने जनपद में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्तों को मुखबिर खास की सूचना पर थाना श्रीनगर क्षेत्र के घटना स्थल- बैरीशाल मन्दिर परिक्रमा मार्ग के पास व थाना अजनर क्षेत्र के घटना स्थल- ग्राम नगाराडांग के पास चेकिंग करते हुए दबिश दी। पुलिस को देख अपराधियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में क्रमशः थाना श्रीनगर क्षेत्र में हुई मुठभेड में 02 अभियुक्तों व थाना अजनर क्षेत्र में हुई मुठभेड में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

थाना श्रीनगर क्षेत्र के बैरीशाल मन्दिर परिक्रमा मार्ग के पास में हुई पुलिस मुठभेड में गिरफ्तारशुदा 02 अभियुक्तों की पहचान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 61/25 धारा 305(1)/331(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों के रुप में क्रमशः 1.गया पाल पुत्र रामचरन पाल उम्र 42 वर्ष निवासी मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा (पुलिस मुठभेड में घायल) 2.देवी चरन राजपूत पुत्र दुर्गानारायण राजपूत निवासी ग्राम नटर्रा थाना चरखारी जनपद महोबा हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा एवं 01 खोखा कारतूस सहित चोरी की सम्पत्ति पीली/सफ़ेद धातु, नकद 04 हजार रु. व घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल व चोरी करने में सहायक उपकरणों की बरामदगी की गयी है।

थाना अजनर के ग्राम नगाराडांग क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड में गिरफ्तारशुदा 03 अभियुक्तों की पहचान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 68/25 धारा 305(क), 331(4) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों के रुप में क्रमशः 1.छोटे सिंह उर्फ जय सिंह उर्फ छोटे राजा पुत्र गणेश सिंह उम्र करीब 38 वर्ष निवासी मु0 रूपनगर करवा व थाना चरखारी (महोबा) 2.शंकर सिंह राजपूत पुत्र नारायण सिंह उम्र करीब

जनपद महोबा में चोरी/लूट की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा ऐसी घटनाओं को 52 वर्ष निवासी ग्राम कुडार थाना खरेला जनपद महोबा 3.प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र गनेश प्रसाद उम्र करीब 32 वर्ष नि0 ग्राम कैथी थाना-राठ जनपद-हमीरपुर हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल मसरूका सहित 01 अवैध तमंचा, 04 जिन्दा एवं 01 खोखा कारतूस सहित चोरी की सम्पत्ति पीली/सफ़ेद धातु, नकद 21 हजार रु. व घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल व चोरी करने में प्रयुक्त उपकरणों की बरामदगी की गयी है।





गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों के कब्जे से हुए बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई तथा पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में थाना श्रीनगर में क्रमशः मु0अ0सं0 74/25 धारा 109(1) बी.एन.एस. (पुलिस मुठभेड़) तथा म्0अ0सं0 75/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट तथा थाना अजनर में म्0अ0सं0 73/25 धारा 109(1)/313/112 बी.एन.एस. (पुलिस मुठभेड़) व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।







मीडिया सेल, महोबा

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक मामले जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैगेस्टर, गुण्डा व आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज हैं।

पुलिस मुठभेड में घायल अभियुक्तों का प्राथमिक उपचार कराते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

इस कार्यवाही से क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

थाना श्रीनगर क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड के दौरान गिरप्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

"अभियुक्त गया पुत्र रामचरन पाल का आपराधिक इतिहास"

- 1. मृ.अ.सं. 420/04 धारा-380/411 IPC कबरई महोबा
- 2. मृ.अ.सं. 493/04 धारा-147/148/307 IPC कबरई महोबा
- 3. मु.अ.सं. 451/04 धारा- 3(1) GANG. ACT कबरई महोबा
- 4. मू.अ.सं. 94/05 धारा- 387/325/323/504/506 IPC कबरई महोबा
- 5. मू.अ.सं. 104/05 धारा- 387/307/452/324 IPC कबरई महोबा
- 6. मु.अ.सं. 173/05 धारा- 147/148/149/323 IPC कबरई महोबा
- 7. म्.अ.सं. 38/06 धारा- 302 IPC थाना श्रीनगर महोबा
- 8. मृ.अ.सं. 09/06 धारा- 457/380 IPC कबरई महोबा
- 9. म्.अ.सं. 1746/08 धारा- 307 IPC कबरई महोबा
- 10. मु.अ.सं. 1051/14 धारा- 401 IPC कबरई महोबा
- 11. मृ.अ.सं. 1002/14 धारा- 467/468/471 IPC कबरई महोबा
- 12. मू.अ.सं. 1003/14 धारा- 3/25 A ACT कबरई महोबा
- 13. मृ.अ.सं. 154/14 धारा- 332/353/307 IPC कबरई महोबा
- 14. मृ.अ.सं. 06/15 धारा -302 IPC कबरई महोबा
- 15. मु.अ.सं. 348/18 धारा- 147/148/149/307/386/323/504/506 IPC कोतवाली महोबा
- 16. मु.अ.सं. सि0न0 10/19 धारा- 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना कबरई महोबा
- 17. मु.अ.सं. सि0सि0नं0 56/21 धारा-110 जी थाना कबरई महोबा
- 18. म्.अ.सं. 298/21 धारा- 457/380 भादवि बिबार हमीरप्र

- 19. मु.अ.सं. 320/21 धारा- 457/380 भादवि बिबार हमीरपुर
- 20. मृ.अ.सं. 70/21 धारा- 457/380/411/413 भादवि कटेरा झाँसी
- 21. मू.अ.सं. 158/22 धारा- 3(1) गैंगेस्टर एक्ट कबरई महोबा
- 22. म्0अ0सं0 920/04 धारा- 380/411 भादवि कुलपहाड
- 23.म्0अ0सं0 423/04 धारा- 147/148/149/307 भादवि कुलपहाड
- 24.म्0अ0सं0 95/06 धारा 380/411/451 भादवि चरखारी
- 25.मू0अ0सं0 1001/14 धारा 401 भादवि -
- 26.म्0अ0सं0 1741/08 धारा 307/504/506 भादवि कबरई
- 27.मु0अ0सं0 3843/09 धारा 457/380 भादवि सटई
- 28. मु0अ0सं0 92/09 धारा 457/380 भादवि सटई
- 29. मु0अ0सं0 150/23 धारा 3 UP गुण्डा एक्ट डकोर
- 30. मू0अ0सं0 105/22 धारा 395/412/459 भादवि डकोर
- 31. म्0अ0सं0 111/24 धारा 3/25 ए एक्ट कबरई
- 32. म्0अ0सं0 313/2019 धारा- 380/411/419/420/467/468 भादवि स्मेरप्र
- 33. मु0अ0सं0 323/24 धारा 380411/458 भादवि मोठ
- 34. म्0अ0सं0 266/22 धारा 380/411/457 मोठ
- 35. मु0अ0सं0 199/22 धारा 380/411/457 पूँछ
- 36. मु0अ0सं0 08/23 धारा 3/25/399/402/411 भादवि ऐरच
- 37. मु0अ0सं0 61/25 धारा 305(1)/331(2)/317(2) बीएनएस
- 38.मु0अ0सं0 74/25 धारा 109(1) बी.एन.एस. (पुलिस मुठभेड़)
- 39. मु0अ0सं0 75/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

"अभियुक्त देवी चरन राजपूत पुत्र दुर्गानारायण राजपूत का आपराधिक इतिहास"

- 1.मु0अ0सं0 61/25 धारा 305(1)/331(2)/ 317(2) बीएनएस
- 2.मु0अ0सं0 74/25 धारा 109(1) बी.एन.एस. (पुलिस मुठभेड़)
- 3. म्0अ0सं0 75/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना श्रीनगर जनपद महोबा।













मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड के दौरान गिरप्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

"अभियुक्त छोटे सिंह उर्फ जय सिंह उर्फ छोटे राजा पुत्र गणेश सिंह का आपराधिक इतिहास"

- 1.म्0अ0सं0 279/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा
- 2. म्0अ0सं0 06/2020 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
- 3. म्0अ0सं0 684/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
- 4. मु0अ0सं0 229/2021 धारा 323/352/452/504/506 भा0द0वि0 थाना चरखारी
- 5. म्0अ0सं0 880/2014 धारा 459 भा0द0वि0 थाना चरखारी जनपद महोबा
- 6. म्0अ0सं0 1044/2010 थाना चरखारी जनपद महोबा
- 7. मु0अ0सं0 540/2008 थाना चरखारी जनपद महोबा
- 8. म्0अ0सं0 2129/2007 थाना चरखारी जनपद महोबा
- 9. म्0अ0सं0 155/2023 धारा ८/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना चरखारी जनपद महोबा
- 10. म्0अ0सं0 99/2019 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा
- 11. म्0अ0सं0 102/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा
- 12. मू०अ०सं० 190/2019 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा
- 13. मु0अ0सं0 68/2025 धारा 305(क)/311(4)/313/112/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना अजनर महोबा
- 14. मु0अ0स0 73/2025 धारा 109(1) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा

"अभियुक्त शंकर सिंह राजपूत पुत्र नारायण सिंह का आपराधिक इतिहास"

- 1.मु0अ0सं0 04/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना खरेला जनपद महोबा
- 2. म्0अ0सं0 06/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरेला जनपद महोबा
- 3. मु0अ0सं0 55/2023 धारा 41 द0प्र0सं0, 380/411/414/457/465/468/471 भा0द0वि0 थाना खरेला
- 4. म्0अ0सं0 09/2006 धारा 307 भा0द0वि0 थाना खरेला जनपद महोबा
- 5. म्0अ0सं0 22/2011 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना खरेला जनपद महोबा
- 6. मु0अ0सं0 90/2005 धारा 307 भा0द0वि0 थाना खरेला जनपद महोबा
- 7. मु0अ0सं0 501/2011 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खरेला जनपद महोबा
- 8. म्0अ0सं0 753/2011 धारा 110 जी0 सी0आर0पी0सी0 थाना खरेला जनपद महोबा
- 9. म्0अ0सं0 822/2012 धारा 03 गुण्डा अधिनियम थाना खरेला जनपद महोबा

- 10.मु0अ0सं0 1051/2012 धारा ४/10 गुण्डा अधिनियम थाना खरेला जनपद महोबा
- 12. मु0अ0सं0 68/2025 धारा 305(क)/311(4)/313/112/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना अजनर
- 13. मु0अ0स0 73/2025 धारा 109(1) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा

"अभियुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र गनेश प्रसाद का आपराधिक इतिहास"

- 1. म्0अ0सं0 68/2025 धारा 305(क)/311(4)/313/112/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना अजनर महोबा
 - 2. मु0अ0स0 73/2025 धारा 109(1) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

जनपदीय एसओजी टीम-

- 1. उ0नि0 शिवप्रताप सिंह, प्रभारी स्वाट 2. उ0नि0 रवि कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांश
- 3.हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह 4.कां0 दीपक वर्मा 5.कां0 रंजीत सिंह 6.कां0 आशीष बघेल
- 7. कां0 कुलदीप यादव 8. कां0 सत्यम सिंह जादौन 9.कां0 निर्भय सिंह 10.कां0 अभिषेक दुबे थाना श्रीनगर पुलिस टीम-
- 1. SHO अवधेश कुमार मिश्रा
- 2. उ०नि० कन्हैया लाल 3. उ०नि० कन्हैया लाल पटेल
- 4. हे.कां. ओम प्रकाश 5. हे0कां0 चालक भानु प्रताप

थाना अजनर पुलिस टीम-

- 1. SO सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
- 2. उ0नि0 हरी कुमारसिंह 3. उ0नि0 हरी शंकर यादव 4. उ0नि0 राजेश कुमार
- 5. उ0नि0 आकाश मौर्य 6.उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित 7. उ0नि0 ऋषी शुक्ला
- 8. कां0 धीरज कन्नौजिया 9. कां0 भरत सिंह 10. कां0 आशीष यादव











मीडिया सेल, महोबा



पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा, श्री राजेश एस द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल की उपस्थिति में जनपदीय पुलिस के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश।

पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस द्वारा आज दिनांक- 05.04.2025 को जनपद महोबा में आगमन करने पर पुलिस लाइन महोबा में सुसज्तित गार्द द्वारा सलामी दी गयी साथ ही पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल द्वारा डीआईजी महोदय के आगमन पर पुष्पगुच्छ भेंट कर जनपद महोबा में स्वागत किया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय द्वारा जनपद के पुलिस लाइन महोबा अवस्थित सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जनपदीय पुलिस के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों ने प्रतिभाग लिया।

बैठक के दौरान जनपद महोबा में कानून-व्यवस्था की स्थिति, लंबित आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा, थाना प्रभारियों की कार्यप्रणाली, अपराध नियंत्रण, जनसुनवाई और महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही पुलिस विभाग की कार्यक्षमता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

पुलिस उपमहानिरीक्षक ने अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशीलता, त्वरित कार्यवाही तथा पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपराध

और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जनपदीय पुलिस बल को सतर्कता और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। अधिकारियों को क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सतत निगरानी और सामूहिक सहयोग पर जोर देने के निर्देश दिए हैं।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री सन्तोष कुमार दुबे, सीए पुलिस अधीक्षक श्री जाकिर हुसैन मौजूद रहे।









मीडिया सेल, महोबा



- ♦थाना कोतवाली नगर पुलिस की तत्परता व सीसीटीवी फुटेज की मदद से महिला यात्री का गुम हुये (ज्वेलरी, नगदी व कीमती सामान से भरा) बैग को सकुशल बरामद कर महिला को सुपुर्द किया गया ।
- ◆ खोया हुआ बैग पाकर मिहला द्वारा पुलिस की त्वरित कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए किया गया हृदय से धन्यवाद। ई-रिक्शा के यूनिक कोड से आसान हुआ बैग बरामद करना।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस द्वारा निरन्तर सामुदायिक पुलिसिंग के साथ ही उत्कृष्ट पुलिसिंग के उदाहरण पेश किये जा रहे है जिसके क्रम में आज दिनांक 05.04.2025 को थाना कोतवाली नगर की चौकी भटीपुरा पुलिस ने अपनी ईमानदारी व कर्तव्यपरायणता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आमजन का विश्वास एक बार फिर से मजबूत किया है। चौकी भटीपुरा पर छतरपुर म.प्र. की निवासिनी श्रीमती हीरामनी अहिरवार पत्नी श्री अखिलेश अहिरवार द्वारा बताया गया कि मैं महोबा रेलवे स्टेशन से ई- रिक्शा से लौड़ी तिगैला रोड जा रही थी मेरा काले रंग का बैग जो ई रिक्शा के ऊपर रखा हुआ था मैं लौड़ी तिगैला पर उतर गयी परन्तु बैग उतारना भूल गयी और ई रिक्शा आगे चला गया और काफी खोजबीन करने के बाद भी उक्त ई-रिक्शा नहीं मिला।

उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये चौकी प्रभारी भटीपुरा उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह द्वारा कोबरा मोबाइल में लगे कर्मचारीगण हे0का0 अमित नागर व पीआरडी रमाकान्त को प्रकरण की गम्भीरता को समझाते हुये त्वारित कार्यवाही करते हुए महिला के बैग की खोजबीन हेतु निर्देशित किया गया काफी खोजबीन के बाद पीड़िता का बैग पुलिस को प्राप्त हुआ जिसे चेक किया गया, जिसमें पीड़िता के नकदी, महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, और कुछ कीमती सामान पाया गया पीड़िता द्वारा बताया गया मेरा पूरा सामान बैग में सुरक्षित है।

पीडिता ने पुलिस की ईमानदारी और तत्परता के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि "मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन महोबा पुलिस ने असम्भव को सम्भव कर मेरी सोच बदल दी। यह कार्य प्रशंसा योग्य

स्थानीय लोगों ने ईमानदार पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुये कहा कि "इस तरह के कार्य न केवल पुलिस की छवि को उज्ज्वल करते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी देते है।



Angels In Khaki





थाना कोतवाली नगर पुलिस की तत्परता व 🕏 रिक्शा के युनिक कोड की मदद से महिला यात्री का गुम हुये (ज्वैलरी, नगदी व कीमती सामान से भरा) बैग को सकुशल बरामद कर महिला को सुपुर्द किया गया ।

@mahobapolice

